



दूरभाष— 2286709
2286710

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ओडिशा

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

पत्रांक 1859 37/76/एक/2017-18

दिनांक 18 अगस्त 2017

सहायता परिवर्तनी / परियोजना अधिकारी

अनुस्मारक

जिला नगरीय विकास अभिकरण, (झूड़ा)

जनपद—आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अमेरी, अमरोहा, औरैया, बदायूँ, बागपत, बलिया,
बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बहराइच, भद्रोही, बिजौर, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया,
एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्स्लखाबाद, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गोण्डा, हमीरपुर,
हापुड़, हरदोई, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर,
ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर,
सम्मल, शामली, सन्तकबीर नगर, सीतापुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर एवं उन्नाव।

विषय—केन्द्र पुरोनिधानित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के अन्तर्गत जनपद पर पृथक से
योजना का खोले गये बचत खाता को पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (पी.एफ.एम.
एस.) के माध्यम से कार्यान्वयन किये जाने हेतु सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अभिकरण के पत्रांक 945/01/29/एच.एफ.ए.
—8/2017-18 दिनांक 15 जून 2017, 1666/01/29/एच.एफ.ए.—10/2017-18 दिनांक 02 अगस्त
2017 एवं 1701/37/76/एक/2017-18 दिनांक 03 अगस्त 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट
करें जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन का जनपद/निकाय स्तर पर
पृथक—पृथक बचत खाता खोलकर सूचना अभिकरण को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा
की गयी थी। विदित हो कि योजनान्तर्गत अग्रेतर धनराशियों पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम
(पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल पर जनपद की सूचना लोड कराये जाने के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेंगी।

आप अवगत हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन की समीक्षा शासन स्तर पर प्रत्येक
सप्ताह की जा रही है जिसमें योजनान्तर्गत खोले गये बचत खाते को पी0एफ0एफ0एस0 पोर्टल पर
पंजीकरण की भी समीक्षा की जाती है। बहुत ही खेद का विषय कि आपके जनपद द्वारा प्रधानमंत्री
आवास योजना (शहरी) मिशन का खोले गये खाते की सूचना अभिकरण के पत्र दिनांक
03 अगस्त 2017 के क्रम में अद्यतन अप्राप्त है जबकि अभिकरण मुख्यालय पर दिनांक 10/11 अगस्त
2017 को आयोजित समीक्षा बैठक में भी बचत खाते की सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया
गया था। सूच्य है कि अग्रेतर योजनान्तर्गत धनराशियों पी0एफ0एफ0एस0 के माध्यम से ही जनपदों को
प्रेषित की जानी है। वांछित सूचना अभिकरण को 22.08.2017 तक न प्राप्त होने की दशा में सम्पूर्ण
उत्तरदायित्व जनपद के सहायता परिवर्तनी/परियोजना अधिकारी की होगी। सूचना प्रेषण सम्बन्धी
प्रारूप पूर्व प्रेषित पत्रांक 1701/37/76/एक/2017-18 दिनांक 03 अगस्त 2017 में उपलब्ध है जो
सूडा की वेबसाइट पर भी अपलोड है। कृपया वांछित सूचना व्यक्तिगत ध्यान देकर ई मेल/विशेष
पत्रवाहक के माध्यम से तत्काल प्रेषित कर दूरभाष पर सम्बन्धित लेखाकार श्री जी0एल0 मौर्या को
अवगत करा दें। श्री जी0एल0 मौर्या का मो0 नं0 8573002216 है। इस सम्बन्ध में और अनुस्मारक की
प्रतीक्षा न करें।

भवदीय,
18.08.2017
(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

प्रतिलिप—निदेशक सूडा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

|
(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक